Australian Government
Medicare Australia

अन्य मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया कार्यक्रम

मेडिकेयर किशोर दंत योजना (Medicare Teen Dental Plan)

मेडिकेयर किशोर दंत योजना क्या है?

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 12-17 वर्ष के पात्र किशोरों की वार्षिक निरोधात्मक दंत-जाँच (preventative dental check) की लागत में सहायता प्रदान करने के लिए मेडिकेयर किशोर दंत योजना की शुरुआत की है।

क्या मैं मेडिकेयर किशोर दंत योजना के लिए पात्र हूँ?

आप मेडिकेयर किशोर दंत योजना के लिए पात्र होंगे तथा आपको निरोधात्मक दंत जाँच सुविधा प्रदान की जाएगी, यदि आप किशोर हैं और:

- आपकी आयु 12-17 वर्ष है
- आप एबस्टडी, संरक्षक भुगतान, अशक्तता सहायता पेंशन, अभिभावकीय भुगतान, विशेष लाभ अथवा युवा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं; अथवा
- जिसका परिवार/संरक्षक/अभिभावक परिवार कर लाभ भाग-ए (एफ़ टी बी-ए), अभिभावकीय भुगतान अथवा आपके लिए डबल ओर्फन पेंशन प्राप्त करता है; अथवा
- जिसके सहजीवी को एफ़ टी बी-ए अथवा अभिभावकीय भुगतान प्राप्त होता है; अथवा
- 16 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं तथा वेटेरन्स चिल्ड्रन एजुकेशन स्कीम (वी सी ई एस) अथवा द मिलिट्री रिहैबिलिटेशन एण्ड कम्पेंसेशन एक्ट एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग स्कीम (एम आर सी ए ई टी एस) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे/रही हैं
- मेडिकेयर लाभों का दावा करने के लिए पात्र हैं।

मेडिकेयर किशोर दंत योजना किस प्रकार से संचालित की जाती है?

यदि आप योजना के लिए पात्र हैं तो आपको अथवा आपके माता-पिता या फिर संरक्षक को आपकी निरोधात्मक दंत जाँच के लिए एक पत्र तथा वाउचर भेजा जाएगा। यदि आप समान साझा देखभाल व्यवस्थाओं के अंतर्गत आते/आती हैं, तो आपके माता-पिता या संरक्षक के पास एक पत्र तथा वाउचर भेजा जाएगा।

वाउचर किस लिए होता है?

एक बार दंत चिकित्सक से मुलाकात कर लेने तथा निरोधात्मक दंत जाँच करवा लेने के उपरांत वाउचर से हर वर्ष मेडिकेयर के समक्ष आप अपना दावा कर सकते/सकती हैं। निरोधात्मक दंत जाँच के दौरान वाउचर को दंत चिकित्सक को दिया जाना चाहिए। वाउचर से दंत चिकित्सक को यह जानकारी प्राप्त होती है कि आप मेडिकेयर किशोर दंत योजना के अंतर्गत निरोधात्मक दंत जाँच के लिए पात्र हैं। वाउचर केवल उस पर नामाँकित व्यक्ति के लिए ही मान्य होता है तथा इसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

यदि मुझे वाउचर न मिले तो मैं क्या करुं?

यदि आपको लगता है कि आप वाउचर के लिए पात्र हैं तथा आपको वाउचर प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप 132 011* पर कॉल कर सकते/सकती हैं अथवा किसी भी मेडिकेयर कार्यालय में जा सकते/सकती हैं।

निरोधात्मक दंत जाँच क्या है?

निरोधात्मक दंत जाँच में मुँह की जाँच की जाती है। आपका दंत चिकित्सक निम्नलिखित कार्य भी कर सकता है:

- एक्स-रे लेना
- स्केलिंग करना तथा सफाई करना
- फ़्लोराइड से उपचार करना
- आपको मुख संबंधी सफाई आदि के अनुदेश देना
- दांत में गढ्ढों अथवा दरारों को भरना (fissure sealing)।

यह सभी सेवाएँ शामिल होती हैं तथा इन्हें कई दिनों की अवधि में किया जा सकता है। इन सेवाओं के लिए आपके उपचार की समाप्ति तक या अलग रूप से बिल प्रभारित नहीं किया जा सकता है।

मैं अपनी निरोधात्मक दंत जाँच कैसे करवा सकता/सकती हूँ?

एक बार जब आपको आपका वाउचर मिल जाए, तो इस लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए।

कदम 1 - दंत चिकित्सक के पास समय नियुक्त कराएँ

दंत चिकित्सक के पास समय नियुक्त कराते वक्त आपको निम्नलिखित की जाँच करने की आवश्यकता होगी:

- दंत चिकित्सक मेडिकेयर किशोर दंत योजना के अंतर्गत निरोधात्मक दंत जाँच प्रदान कराएगा
- क्या आपको किसी कार्य के लिए वहीं पर भुगतान करने की आवश्यकता होगी तथा क्या यह भुगतान मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया से दावा किए जाने वाले लाभ से अधिक होगा।

यदि आप सार्वजनिक दंत सेवाओं के लिए पात्र हों, तो आप सबसे नजदीकी सार्वजनिक दंत क्लिनिक में कॉल कर सकते/सकती हैं (इनमें स्कूलों में आधारित क्लिनिक शामिल हैं) ताकि आप इस बात का पता लगा सकें कि क्या वे निरोधात्मक दंत जाँच आदि उपलब्ध कराते हैं।

कदम 2 - अपनी निरोधात्मक दन्त जाँच करवाएं

जब आप निरोधात्मक दंत जाँच करवाने जाएँ, तो अपना वाउचर भी साथ ले कर जाएं।

कदम 3 - अपनी निरोधात्मक दंत जाँच के लिए दावा करना

आपकी निरोधात्मक दंत जाँच करने के बाद दंत चिकित्सक आपसे निम्नलिखित तीन विधियों में भुगतान प्राप्त कर सकता है:

1. दंत चिकित्सक द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए बल्क बिल बनाया जाएगा और इसके लिए वह आपको लाभ प्राप्ति प्रपत्र (Assignment of Benefit form) पर हस्ताक्षर करने के लिए कहेगा, जिससे कि वह सीधे मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया से दंत लाभ का दावा कर सके।
2. दंत चिकित्सक आपको प्रदान की गई सेवा के लिए पूरा भुगतान करने के लिए कहेगा। आप अपना दावा सबसे नजदीक के मेडिकेयर कार्यालय में अपने खाते/रसीद को प्रस्तुत करके अथवा उसे डाक से भेज कर कर सकते/सकती हैं।

3. दंत चिकित्सक आपको एक अदत्त खाता देगा। आपको अपने खाते/रसीद को सबसे नजदीक के मेडिकेयर कार्यालय में ले जाना होगा अथवा इसे डाक से मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया के पास भेजना होगा। हम लाभ की राशि के लिए दंत चिकित्सक के नाम का एक चैक भेजेगें। आपको वह चैक दंत चिकित्सक के पास भेजना होगा, तथा इसके साथ आपको अभी देय अंतर राशि भी भेजनी होगी।

महत्वपूर्ण जानकारी

- यदि आप निरोधात्मक दंत जाँच के लिए पात्र हों, तो मेडिकेयर किशोर दंत जाँच वाउचर को जारी किए जाने से पहले ही आप दंत चिकित्सक से जाँच करवा सकते/सकती हैं। लेकिन जब तक उस कैलेण्डर वर्ष के लिए वाउचर जारी नहीं कर दिया जाए, तब तक आप मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया से अपने दंत लाभ का दावा नहीं कर सकते/सकती हैं।
- यदि आप समान साझा व्यवस्थाओं के अंतर्गत आने वाले एक किशोर हों, तो मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया से दावा करने वाला प्रथम परिवार पूरे दंत लाभ का पात्र होगा।
- यदि आपकी निरोधात्मक दंत जाँच की कुल लागत आपके वाउचर की राशि से अधिक हो, तो मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया केवल वाउचर की राशि का ही भुगतान कर सकता है। आप किसी अतिरिक्त राशि के लिए स्वयँ उत्तरदायी होंगे/होंगी। यदि कुल लागत वाउचर में दी गई राशि से कम हो, तो दंत चिकित्सक ने जितनी धनराशि आप से ली है, मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया केवल उतनी ही धनराशि का भुगतान करेगा।
- निरोधात्मक दंत जाँच एक ऐसी मेडिकेयर सेवा है जिसके लिए मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया के पास दावा किया जा सकता है। आप अपने निजी स्वास्थ्य कोष के पास भी दावा करने का विकल्प चुन सकते/सकती हैं, लेकिन आप दोनो जगहों से दावा नहीं कर सकते/सकती हैं।

सारांश जाँच-सूची

- अपने वाउचर तथा पत्र को किसी सुरक्षित स्थान पर रखें।
- जब आप दंत चिकित्सक के पास जाएँ, तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास अपना वाउचर तथा मेडिकेयर कार्ड भी है।
- जब आप मेडिकेयर कार्यालय में अपने लाभ का दावा करने के लिए जाएँ, तो निश्चित रुप से अपना मेडिकेयर कार्ड भी साथ ले जाएं।
- यदि भविष्य में आपके ब्यौरे में कोई परिवर्तन होता है, तो मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया, सेन्टरलिंक अथवा डी वी ए को इसकी जानकारी देना अवश्य याद रखें।

अधिक जानकारी के लिए

ऑनलाइन	**www.medicareaustralia.gov.au** **www.health.gov.au/dental**
टेलीफोन	132 011*
टी टी वाई	1800 552 152** (सुनने तथा बोलने में असमर्थ व्यक्ति)
टी आई एस	131 450* (अनुवाद तथा दुभाषिया सेवा)

राष्ट्रीय आँत का कैंसर परीक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय आँत का कैंसर परीक्षण कार्यक्रम क्या है?

राष्ट्रीय आँत का कैंसर परीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जनवरी 2008 से दिसम्बर 2010 के बीच में 50, 55 अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उनके घर की में ही फ़ीकल ओकल्ट ब्लड टैस्ट (एफ़ ओ बी टी) की सुविधा प्रदान करके आँत के कैंसर की घटनाओं तथा इसके कारण होने वाली मौतों को कम करना है।

क्या मैं राष्ट्रीय आँत का कैंसर परीक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पात्र हूँ?

पात्र जनसंख्या में आने वाले व्यक्तियों को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक मेडिकेयर कार्डधारक अथवा डी वी ए गोल्ड कार्ड धारक हों तथा जो 1 जनवरी 2008 और 31 दिसम्बर 2010 के बीच 50, 55 अथवा 65 वर्ष के हो जाएँ, केवल वे ही इसके लिए पात्र होंगे।

अस्थाई वीज़ाधारकों तथा अस्थाई निवासियों को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा, चाहे उनकी आयु निर्दिष्ट आयु वर्ग में ही क्यों न आती हो।

यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पात्र हों, तो आपको डाक द्वारा फ़ीकल ओकल्ट ब्लड टैस्ट (एफ़ ओ बी टी) कहा जाने वाला एक सामान्य परीक्षण भेजा जाएगा और इसे अपने घर में ही गोपनीय रुप से पूरा करने तथा पैथोलोजी लैब में विश्लेषण हेतु भेजने के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। एफ़ ओ बी टी को पूरा करने के लिए कोई लागत नहीं आती है। यदि आपके एफ़ ओ बी टी परीक्षण का परिणाम सकारात्मक आए, तो आपसे इस परिणाम के बारे में अपने डाक्टर से परामर्श करने के लिए कहा जाएगा, जो आम-तौर पर आपको और अधिक जाँच, जैसे क्लोनोस्कोपी के लिए संदर्भ-निर्देशित करेगा।

राष्ट्रीय आँत का कैंसर परीक्षण रजिस्टर

मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय आँत का कैंसर जाँच रजिस्टर प्रशासित करता है। रजिस्टर द्वारा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण भेजा जाता है, प्रतिभागी व्यक्तियों के परीक्षण इतिहास, एफ़ ओ बी टी तथा कोलोनोस्कोपी परिणामों के साथ-साथ उनका ब्यौरा दर्ज किया जाता है और प्रतिभागियों और उनके नामांकित डॉक्टर/मेडिकल प्रेक्टिस को अनुस्मारक पत्र भेजे जाते हैं।

व्यक्तिगत जानकारी तथा जाँच परिणामों को निजी तथा गोपनीय रखा जाता है। रजिस्टर में रखी गई जानकारी कानून (गोपनीयता नियम 1988) द्वारा संरक्षित होती है तथा व्यक्तिगत ब्यौरे को उस अधिनियम के सूचना निजता सिद्धान्तों के अनुरुप जारी किया जाता है।

रजिस्टर में क्या जानकारी रखी जाती है?

रजिस्टर में निम्नलिखित ब्यौरे रखे जाते हैं, जैसे:

- आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, सम्पर्क ब्यौरा, आयु तथा लिंग
- आपका मेडिकेयर नम्बर
- स्क्रीनिंग परीक्षणों के परिणाम
- आपके नामांकित चिकित्सक का नाम
- किन्हीं अन्य परीक्षणों जैसे कोलोनोस्कोपी अथवा बायोप्सी के परिणाम।

इस जानकारी को किस लिए प्रयोग में लाया जाएगा?

मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया द्वारा व्यक्तिगत जानकारी को निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा:

- परीक्षण के लिए पात्र व्यक्तियों को आमंत्रित करने के लिए
- पात्र व्यक्तियों को अपने एफ़ ओ बी टी को पूरा करने की याद दिलाने के लिए
- एफ़ ओ बी टी का विश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी लैब को सम्पर्क ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए
- यदि आवश्यक हो तो मेडिकेयर तथा सेनानिवृत्त व्यक्तियों के मामलों के विभाग के आँत के परीक्षण के दावों की जाँच करने के लिए तथा संबंधित रिपोर्टों को रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करने हेतु चिकित्सा सेवा प्रदाताओं से सम्पर्क करने के लिए
- प्रतिभागियों तथा उनके नामांकित चिकित्सक को अनुस्मारक पत्र भेजना तथा/या टेलीफोन से सम्पर्क करना (यदि आवश्यक हो)।

आपके नाम तथा जन्म की तिथि को ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य और कल्याण सँस्थान (Australian Institute of Health and Welfare या ए आई एच डब्ल्यू) को कैंसर रजिस्ट्री आँकड़ों के साथ मिलाने के लिए दिया जाएगा ताकि यह दर्शाया जा सके कि कार्यक्रम के कारण लोगों का जीवन बचाया जा रहा है। ए आई एच डब्ल्यू को आँकड़े उपलब्ध कराना ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य और कल्याण सँस्थान नियम 1987 के गोपनीयता संबंधी उपबन्धों के आधीन आता है।

आपके नाम, सम्पर्क तथा परीक्षण ब्यौरे को आँत का कैंसर परीक्षण के संबंध में चिकित्सीय देखभाल कार्य में आपकी सहायता करने में संलग्न व्यक्तियों को भी प्रदान किया जा सकता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- आपका नामांकित चिकित्सक
- संदर्भ-निर्देशित चिकित्सा-विशेषज्ञ
- प्रतिभागी फोलो-अप अधिकारी
- राज्य/प्रादेशिक सरकारों के आँत का कैंसर परीक्षण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी।

रजिस्टर में दर्ज जानकारी को कौन देख सकता है?

रजिस्टर में रखी गई जानकारी तथा रजिस्टर द्वारा ए आई एच डब्ल्यू को उपलब्ध कराई गई जानकारी कानून द्वारा संरक्षित है, तथा इसे आपकी अनुमति के बिना अथवा कानून द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत न होने पर किसी अन्य व्यक्ति अथवा संगठन को प्रकट नहीं किया जाएगा।

चिकित्सकों तथा चिकित्सा-विशेषज्ञों द्वारा कौन सी जानकारी रजिस्टर को उपलब्ध कराई जाती है?

सामान्य चिकित्सक तथा विशेषज्ञ एफ़ ओ बी टी जाँच के सकारात्मक परिणामों वाले कार्यक्रम प्रतिभागियों के साथ परामर्श अथवा किसी अन्य चिकित्सीय कार्य-प्रणाली की जानकारी (आँकड़ा संग्रहण प्रपत्रों को पूरा करके) रजिस्टर को उपलब्ध कराएँगे।

अधिक जानकारी के लिए

ऑनलाइन	**www.medicareaustralia.gov.au** **www.cancerscreening.gov.au**
कॉल	राष्ट्रीय आँत का कैंसर परीक्षण रजिस्टर सूचना लाइन — 1800 118 868**
टी टी वाई	1800 552 152** (सुनने तथा बोलने में असमर्थ व्यक्ति)
टी आई एस	131 450* (अनुवाद तथा दुभाषिया सेवा)

*कॉल प्रभार लागू होते हैं।

**केवल मोबाइल तथा पे फोनों पर ही कॉल प्रभार लागू होते हैं।

वाह्य स्तन प्रोस्थेसिस प्रतिपूर्ति कार्यक्रम

(External breast prostheses reimbursement program)

वाह्य स्तन प्रोस्थेसिस प्रतिपूर्ति कार्यक्रम क्या है?

वाह्य स्तन प्रोस्थेसिस प्रतिपूर्ति कार्यक्रम (कार्यक्रम) ऑस्ट्रेलियाई सरकार की एक पहल है, जिसमें मैसटेक्टोमी कराने वाली स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं को नए अथवा प्रतिस्थापित वाह्य स्तन प्रोस्थेसिस के लिए प्रतिपूर्ति दी जाती है।

1 जुलाई 2008 से खरीदे गए नए तथा प्रतिस्थापित वाह्य स्तन प्रोस्थेसिस के लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है।

क्या मैं पात्र हूँ?

जो महिलाएं ऑस्ट्रेलिया की स्थाई निवासी हैं, मेडिकेयर के लिए पात्र हैं, तथा जिन्होंने स्तन कैंसर के लिए मैसटेक्टोमी करवाई है, वे प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए पात्र हैं।

मैं प्रतिपूर्ति का दावा किस प्रकार से कर सकती हूँ?

प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए आपको एक दावा प्रपत्र भरना होगा। यह प्रपत्र किसी भी मेडिकेयर कार्यालय अथवा **www.medicareaustralia.gov.au** पर उपलब्ध है।

दावा प्रपत्र को भरने के बाद इसके साथ मूल रसीद को संलग्न करें तथा इसे मेडिकेयर कार्यालय में जमा करवा दें अथवा निम्न पते पर डाक से भेज दें:

Medicare Australia
GPO Box 9822
आपके राजधानी शहर में

कितनी धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है?

प्रत्येक नए अथवा प्रतिस्थापित वाह्य स्तन प्रोस्थेसिस के लिए प्रोस्थेसिस की लागत के आधार पर $400 तक की राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। यह प्रत्येक प्रोस्थेसिस के लिए प्रत्येक स्तन के लिए लागू होता है।

मैं कितनी बार दावा कर सकती हूँ?

यदि कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से ही दावा किया जा चुका हो, तो पिछली खरीद के बाद से दो वर्ष की अवधि के उपरांत प्रतिपूर्ति के लिए फिर से दावा किया जा सकता है। यह प्रत्येक प्रोस्थेसिस के लिए प्रत्येक स्तन के लिए लागू होता है।

प्रतिपूर्ति का भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा?

आपके दावा प्रपत्र पर नामांकित बैंक खाते में प्रतिपूर्ति की समस्त राशि जमा करवाई जाएगी। हम आपके खाते में जमा करवाई गई राशि का ब्यौरा देते हुए कर उद्देश्य से रखे जाने के लिए एक विवरण भेजेगें।

अधिक जानकारी के लिए लिए

ऑनलाइन	**www.medicareaustralia.gov.au**
कॉल	132 011*
टी टी वाई	1800 552 152** (सुनने तथा बोलने में असमर्थ व्यक्ति)
टी आई एस	131 450* (अनुवाद तथा दुभाषिया सेवा)

*कॉल प्रभार लागू होते हैं।

**कॉल प्रभार केवल मोबाइल तथा पे फोनों पर ही लागू होते हैं।

1577_09f.04.11.09